www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 14.06.2017

सीबीआई ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया के साथ 184.43 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप पर नौ आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने कोलकाता की प्राइवेट कम्पनी के प्रोत्साहक एवं निदेशकों तथा उक्त प्राइवेट कम्पनी सहित नौ आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने कोलकाता स्थित उक्त प्राइवेट कम्पनी के ऋण खाते के माध्यम से 130.95 करोड. रू. (लगभग) की कुछ धनराशि को कोलकाता की ही कम्पनी समूह में लगाकर यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कारपोरेट फाइनेन्स शाखा, कोलकाता के साथ 184.43 करोड. रू. (लगभग) की धोखाधड़ी की।

आरोपी व्यक्तियों एवं कोलकाता, गुड़गॉव, कानपुर, नागपुर तथा जमशेदपुर स्थित उक्त प्राइवेट कम्पनी के 10 स्थानों पर तलाशी की गई।

आगे की जॉच जारी है।

****